# राजस्थान सकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 4(6)शिक्षा–1/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 19.8.2019

**–: परिपत्र :–**

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.06.1999 एवं 23.06.1999 द्वारा के विद्यालय क्रमोन्नति के दिशा–निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य में वर्तमान परिस्थितियों एवं शिक्षा में किये जा रहे व्यापक सुधारों के प्रकाश में नियम/मानदण्ड निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

| क्र. सं. | श्रेणी | विद्यालय की श्रेणी विवरण | कक्षा 8वीं/10वीं में विद्यार्थी संख्या | | जनसंख्या | | दूरी एवं अन्य मानदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | छात्र | छात्रा | छात्र विद्यालयों हेतु | छात्रा विद्यालयों हेतु | |
| 1 | सामान्य क्षेत्र | राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नति के वर्तमान में प्रचलित मानदण्ड | 30 | 20 | 2500 | 3000 | दूरी 5 किमी. तक की परिधि में कोई भी रामावि संचालित नहीं हो एवं फीडर विद्यालयों की संख्या न्यूनतम 2 हो। |
| | | **राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नति के नवीन प्रस्तावित मानदण्ड** | **30** | **20** | **1500** | **2000** | **पूर्व में 5 किमी तक की परिधि में कोई भी रामावि या राउमावि संचालित नहीं है तथा क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय के अतिरिक्त कम से कम एक राउप्रावि फीडर विद्यालय हो।** |
| 2 | रेगिस्तानी/पहाडी/नदी नाले/जनजाति/मेवात क्षेत्र | राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नति के वर्तमान में प्रचलित मानदण्ड | 20 | 20 | 2000 | 2500 | दूरी 5 किमी. तक की परिधि में कोई भी रामावि संचालित नहीं हो एवं फीडर विद्यालयों की संख्या न्यूनतम 2 हो। |
| | | **राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नति के नवीन प्रस्तावित मानदण्ड** | **20** | **20** | **1000** | **1500** | **पूर्व में 3 किमी तक की परिधि में कोई भी रामावि या राउमावि संचालित नहीं है तथा क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय के अतिरिक्त कम से कम एक राउप्रावि फीडर विद्यालय हो।** |
| 3 | सामान्य क्षेत्र | रामावि से राउमावि में क्रमोन्नति के वर्तमान में प्रचलित मानदण्ड | 50 | 40 | 4000 | 5000 | दूरी 8 किमी. तक की परिधि में कोई भी राउमावि संचालित नहीं हो एवं फीडर विद्यालयों की संख्या न्यूनतम 2 हो। |
| | | **रामावि से राउमावि में क्रमोन्नति के नवीन प्रस्तावित मानदण्ड** | **40** | **30** | **2500** | **3500** | **पूर्व में 7 किमी तक की परिधि में कोई भी राउमावि संचालित नहीं है तथा क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय के अतिरिक्त कम से कम एक रामावि फीडर विद्यालय हो।** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | रेगिस्तानी / पहाडी / नदी नाले / जनजाति / मेवात क्षेत्र | रामावि से राउमावि में क्रमोन्नति के वर्तमान में प्रचलित मानदण्ड | 30 | 25 | 3000 | 4000 | दूरी 8 किमी. तक की परिधि में कोई भी राउमावि संचालित नहीं हो एवं फीडर विद्यालयों की संख्या न्यूनतम 2 हो। |
| | | **रामावि से राउमावि में क्रमोन्नति के नवीन प्रस्तावित मानदण्ड** | **25** | **20** | **1500** | **2500** | **पूर्व में 5 किमी तक की परिधि में कोई भी राउमावि संचालित नहीं है तथा क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय के अतिरिक्त कम से कम एक रामावि फीडर विद्यालय हो।** |

- बालिका विद्यालय को माध्यमिक स्तर/उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए उस स्थान पर माध्यमिक स्तर/उच्च माध्यमिक स्तर का सह–शिक्षा का विद्यालय पूर्व से ही संचालित होना आवश्यक होगा। साथ ही दूरी की गणना में ग्राम पंचायत/ वार्ड/ ब्लॉक/ जिले की सीमा की बाध्यता नहीं होगी।
- स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जनप्रतिनिधियों की राय से जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकार स्तर से आदेश जारी किये जा सकेंगे।
- क्रमोन्नति के उपरोक्त मानदण्डों में राज्य सरकार द्वारा शिथिलन प्रदान कर विद्यालय क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

भवदीय,

**(अशोक कुमार त्रिवेदी)**
शासन उप सचिव–प्रथम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. उप शासन सचिव, (ग्रुप – 2, 6) विभाग
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन एवं प्रभारी वैब पोर्टल
9. उप निदेशक, सांख्यिकी।
10. रक्षित पत्रावली।

19.8.18

**(डॉ. रणवीर सिंह)**
विशेषाधिकारी–शिक्षा